**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3149**

**दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ**

**.....**

**जल संरक्षण**

**3149. श्री अनूप प्रधान वाल् मीकिः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार जल संरक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और कृषि क्षेत्र में इसके उपयोग, जिसके लिए इस आवश्यक संसाधन का एक बड़ा हिस्सा चाहिए, को कम करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश भर में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, भूमिगत जलभृतों के पुनर्भरण के लिए और प्रमुख जलाशयों को पुनः भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**
**(श्री राज भूषण चौधरी)**

**(क) से (ग):** जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों से संबंधित पहलुओं, जिनमें जल संरक्षण भी शामिल है, का अध्ययन, योजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे उपायों और प्रयासों को संपूरित करती है।

तथापि, भारत सरकार जल संरक्षण और कृषि क्षेत्र में इसके कुशल उपयोग के लिए विभिन्न पहल कर रही है। देश में जल की बढ़ती कमी के प्रबंधन हेतु जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

i. जल शक्ति मंत्रालय 2019 से वार्षिक आधार पर जल शक्ति अभियान (जेएसए) को लागू कर रहा है। मौजूदा वर्ष में, जल शक्ति मंत्रालय देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी दोनों) में जेएसए की श्रृंखला में 6वें जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) 2025 को लागू कर रहा है। जेएसए: सीटीआर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और निधियों जैसे मनरेगा, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार बहाली घटक, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा), वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार की योजनाएं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि आदि का एक

संमिलन है। अभियान के अंतर्गत किए गए प्रमुख कार्यकलापों में से एक में छत और जल संचयन संरचनाओं सहित वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत शामिल है। देश भर में और उत्तर प्रदेश में जेएसए:सीटीआर की कार्यकलाप-वार प्रगति का विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

जेएसए: सीटीआर को और मज़बूत करने के लिए, 6 सितंबर, 2024 को सूरत, गुजरात में "जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल शुरू की गई, जिसका उद्देश्य संतृप्ति मोड में कम लागत वाली वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण हेतु समुदाय की सक्रियता को बढ़ाना है। गुजरात में जल संचय कार्यक्रम की शुरुआत सामुदायिक निधियों, व्यक्तिगत दान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि आदि का उपयोग करके बोरवेल, रिचार्ज शाफ्ट, रिचार्ज पिट जैसी कम लागत वाली संरचनाओं के निर्माण हेतु की गई, ताकि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके वर्षा जल का संचयन किया जा सके, भूजल स्तर को बढ़ावा दिया जा सके और जल समस्याओं का स्थानीय स्तर पर अनुकूलित समाधान प्रदान किया जा सके। जेएसजेबी 1.0 के अंतर्गत कुल 27,62,620 कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और भंडारण कार्य शुरू किए गए, जिनमें से 31 मई 2025 तक 23,83,162 कार्य पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जेएसजेबी पहल के अंतर्गत जिले-वार प्रगति का विवरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

ii. जल शक्ति मंत्रालय ने दिनांक 20.10.2022 को राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई) की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों आदि में जल उपयोग दक्षता में सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करना है। कृषि क्षेत्र में जल संरक्षण को बढ़ावा देने और उपयोग को कम करने के लिए, बीडब्ल्यूयूई ने विभिन्न राज्यों में प्रमुख और मध्यम जलाशयों/बांधों पर 16 आधारभूत अध्ययन पूरे किए। इन अध्ययनों ने बांध/जलाशय के प्रदर्शन, संवहन और खेत पर अनुप्रयोग दक्षताओं और सिंचाई क्षमता उपयोग की जांच करके जल उपयोग दक्षता का मूल्यांकन किया। व्यापक क्षेत्रीय डेटा के आधार पर, रिपोर्टें नहर की लाइनिंग, सिंचाई अवसंरचना का आधुनिकीकरण, सूक्ष्म-सिंचाई तकनीकों को अपनाने और फसल विविधीकरण रणनीतियों जैसी विस्तृत सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं।

iii. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के संपूर्ण मानचित्रण योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (नैक्यूम) परियोजना पूरी कर ली है, जिसे कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं। नैक्यूम अध्ययनों के आधार पर, भूजल प्रबंधन योजनाएँ तैयार की जाती हैं, जिनमें फसल-विविधीकरण, जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना और अपनाना तथा ड्रिप/स्प्रिंकलर जैसी संरक्षण पद्धतियों को सतत भूजल विकास हेतु मांग-पक्ष प्रबंधन उपायों में से एक के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। प्रबंधन योजनाएँ तैयार की जाती हैं और उचित उपाय/कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा की जाती हैं। सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान- 2020 भी तैयार किया है, जो एक वृहद स्तर की योजना है, जिसमें अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भू-स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाया गया है।

iv. मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-2026 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की एक उप-योजना के रूप में 1600 करोड़ रुपये के आरंभिक कुल परिव्यय के साथ कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (एमसीएडी) के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य एक निर्दिष्ट क्लस्टर में मौजूदा नहरों या अन्य स्रोतों से सिंचाई जल की आपूर्ति के लिए सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है। यह किसानों द्वारा स्थापित स्रोत से फार्म गेट तक भूमिगत दबावयुक्त पाइप सिंचाई के साथ सूक्ष्म सिंचाई के लिए मजबूत बैकएंड अवसंरचनाओं के निर्माण पर बल देता है, जिससे खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता (डब्ल्यूयूई), कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी और परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग कम होगा।

v. भारत सरकार एक योजना नामतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) लागू कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाएं शामिल हैं।

vi. 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अनुदानों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन के लिए किया जा सकता है।

vii. अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) में वर्षा जल को वर्षा जल नालियों के माध्यम से जल निकायों (जिसमें सीवेज/अपशिष्ट नहीं मिलता हो) में संचयित करने का प्रावधान है। 'जलभृत प्रबंधन योजना' तैयार करके, शहरों का लक्ष्य शहरी सीमा के भीतर वर्षा जल संचयन में सुधार हेतु एक रोडमैप विकसित करके भूजल पुनर्भरण वृद्धि की रणनीति बनाना है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अभियान के माध्यम से, वर्षा जल संचयन जैसे जल संरक्षण के तरीकों के बारे में जागरूक करना है।

viii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल उपाय अपनाने हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जैसे दिल्ली के एकीकृत भवन उपनियम (यूबीबीएल), 2016, मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016 और शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014, जिनमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त बल दिया गया है।

ix. भारत सरकार दिनांक 01.04.2020 से 6 वर्षों की अवधि के लिए 7 राज्यों अर्थात हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में अटल भूजल योजना लागू कर रही है। यह योजना भूजल विकास से भूजल प्रबंधन की ओर एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है।

x. भारत सरकार खेत में जल की वास्तविक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधार करने, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करने आदि के उद्देश्य से "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)" लागू कर रही है। पीएमकेएसवाई के तीन घटक/योजनाएं अर्थात् हर खेत को पानी (एचकेकेपी), जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) योजना और सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजना हैं।

xi. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है, जो अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण का समर्थन करती है और वर्षाजल के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है।

xii. भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) देश में वर्षा सिंचित और बंजर भूमि के विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक को क्रियान्वित करता है। इसके अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, रिज क्षेत्र उपचार, जल निकासी लाइन उपचार, मृदा और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी की स्थापना, चारागाह विकास, संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका आदि शामिल हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई, इन कार्यकलापों के माध्यम से, बेहतर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की बेहतर सहनशीलता के माध्यम से सतत विकास सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

xiii. ग्राम पंचायत स्तर पर वर्षा जल संचयन संरचनाएँ स्थापित करने की गतिविधि को पंचायत विकास योजना (पीडीपी) में शामिल किया गया है ताकि पंचायतें अपनी आवश्यकतानुसार पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी) निधि या अपने पास उपलब्ध किसी अन्य निधि से इसे क्रियान्वित कर सकें। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित योजना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), अधिकारियों और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए भी सहायता प्रदान करती है।

xiv. जल शक्ति मंत्रालय कृषि क्षेत्र में विभिन्न कुशल जल उपयोग तकनीकों को बढ़ावा दे रहा है, जैसे सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली), कम पानी की खपत वाली फसलों की ओर फसल विविधीकरण, लेज़र लैंड लेवलिंग, चावल की सीधी बुवाई, जीरो-टिल/न्यूनतम जुताई, मल्चिंग, पॉलीहाउस/शेड-नेट आदि। ये प्रणालियाँ फसल की पैदावार में सुधार करते हुए पानी के उपयोग को 40-80% तक कम करने में मदद करती हैं। अटल भूजल योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से भूजल स्तर को फिर से भरने के लिए तालाबों, चेकडैम और छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं सहित विभिन्न जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाता है।

*****

**अनुलग्नक-I**

**"जल संरक्षण" के संबंध में दिनांक 07.08.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 3149 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक।**

| जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (देश भर में) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय | | | | | | | |
| कार्यकलाप-वार स्थिति रिपोर्ट (जेएसए 2019 - 2025) | | | | | | | |
| *पूर्ण हो चुके और चल रहे कार्यों की संख्या दर्शाने वाले आंकड़े | | | | | | | |
| **क्र. सं.** | **वर्ष** | **जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन** | **पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण** | **पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं** | **वाटरशेड विकास** | **कुल जल संबंधी कार्य** | **गहन वनरोपण** |
| 1 | 2019 | 273256 | 44497 | 142740 | 159354 | 619,847 | 123,599,566 |
| 2 | 2021 | 1627677 | 295836 | 832596 | 1918913 | 4,675,022 | 367,660,580 |
| 3 | 2022 | 1241770 | 267782 | 872489 | 1628706 | 4,010,747 | 783,836,035 |
| 4 | 2023 | 1242357 | 283786 | 680256 | 1484611 | 3,691,010 | 55,026,292 |
| 5 | 2024 | 1301806 | 308711 | 534564 | 2021450 | 4,166,531 | 64,845,783 |
| 6 | 2025 | 700287 | 107760 | 170916 | 703393 | 1,682,356 | 17,408,545 |
| **कुल** | | **6,387,153** | **1,308,372** | **3,233,561** | **7,916,427** | **18,845,513** | **1,412,376,801** |

| जल शक्ति अभियान: वर्षा जल संचयन | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय | | | | | | |
| उत्तर प्रदेश - कार्यकलाप-वार प्रगति (22-03-2021 से 04-08-2025 तक की स्थिति) | | | | | | |
| **जेएसए वर्ष** | **जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन** | **पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण** | **पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं** | **वाटरशेड विकास** | **कुल जल संबंधी कार्य (वर्ष-वार)** | **गहन वनरोपण** |
| 2021 | 86599 | 35944 | 44610 | 407109 | **574262** | 6188274 |
| 2022 | 112283 | 53502 | 39264 | 494147 | **699196** | 20993215 |
| 2023 | 101619 | 45078 | 49372 | 401270 | **597339** | 400735974 |
| 2024 | 130475 | 48370 | 32402 | 576702 | **787949** | 33063528 |
| 2025 | 56810 | 18074 | 6411 | 213579 | **294874** | 2643315 |
| **कुल** | **487786** | **200968** | **172059** | **2092807** | **2953620** | **463624306** |

**अनुलग्नक-II**

**"जल संरक्षण" के संबंध में दिनांक 07.08.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 3149 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक।**

| जल संचय जनभागीदारी 1.0 के तहत जिला-वार प्रगति | | | |
|---|---|---|---|
| (31.05.2025 की स्थिति अनुसार) | | | |
| क्र. सं. | राज्य | ज़िला | पूर्ण कार्य |
| 1 | उत्तर प्रदेश | आगरा | 212 |
| 2 | उत्तर प्रदेश | अलीगढ | 82 |
| 3 | उत्तर प्रदेश | अम्बेडकरनगर | 5 |
| 4 | उत्तर प्रदेश | अमेठी | 279 |
| 5 | उत्तर प्रदेश | अमरोहा | 2387 |
| 6 | उत्तर प्रदेश | औरैया | 24 |
| 7 | उत्तर प्रदेश | अयोध्या | 97 |
| 8 | उत्तर प्रदेश | आजमगढ़ | 585 |
| 9 | उत्तर प्रदेश | बागपत | 1023 |
| 10 | उत्तर प्रदेश | बहराइच | 320 |
| 11 | उत्तर प्रदेश | बलिया | 65 |
| 12 | उत्तर प्रदेश | बलरामपुर | 488 |
| 13 | उत्तर प्रदेश | बाँदा | 67 |
| 14 | उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | 252 |
| 15 | उत्तर प्रदेश | बरेली | 128 |
| 16 | उत्तर प्रदेश | बस्ती | 1 |
| 17 | उत्तर प्रदेश | भदोही | 5 |
| 18 | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | 1666 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | शाहजहांपुर | 49 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | बुलन्दशहर | 270 |
| 21 | उत्तर प्रदेश | चंदौली | 37 |
| 22 | उत्तर प्रदेश | चित्रकूट | 15761 |
| 23 | उत्तर प्रदेश | देवरिया | 17 |
| 24 | उत्तर प्रदेश | एटा | 94 |
| 25 | उत्तर प्रदेश | इटावा | 265 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | फर्रुखाबाद | 200 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | फ़तेहपुर | 127 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | फिरोजाबाद | 51 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर | 182 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | गाजियाबाद | 148 |
| 31 | उत्तर प्रदेश | गाजीपुर | 344 |
| 32 | उत्तर प्रदेश | गोंडा | 4 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | 54 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | हापुड | 149 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | हरदोई | 32 |

| 36 | उत्तर प्रदेश | हाथरस | 11 |
|---|---|---|---|
| 37 | उत्तर प्रदेश | जालौन | 16279 |
| 38 | उत्तर प्रदेश | जौनपुर | 2641 |
| 39 | उत्तर प्रदेश | झांसी | 1214 |
| 40 | उत्तर प्रदेश | कन्नौज | 313 |
| 41 | उत्तर प्रदेश | कानपुर देहात | 126 |
| 42 | उत्तर प्रदेश | कानपुर नगर | 37 |
| 43 | उत्तर प्रदेश | कासगंज | 22 |
| 44 | उत्तर प्रदेश | कौशांबी | 285 |
| 45 | उत्तर प्रदेश | खेरी | 10 |
| 46 | उत्तर प्रदेश | कुशी नगर | 49 |
| 47 | उत्तर प्रदेश | ललीतपुर | 1256 |
| 48 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 200 |
| 49 | उत्तर प्रदेश | महाराजगंज | 15 |
| 50 | उत्तर प्रदेश | महोबा | 746 |
| 51 | उत्तर प्रदेश | मैनपुरी | 234 |
| 52 | उत्तर प्रदेश | मथुरा | 34 |
| 53 | उत्तर प्रदेश | मऊ | 711 |
| 54 | उत्तर प्रदेश | मेरठ | 403 |
| 55 | उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर | 35509 |
| 56 | उत्तर प्रदेश | मुरादाबाद | 10 |
| 57 | उत्तर प्रदेश | मुजफ्फरनगर | 163 |
| 58 | उत्तर प्रदेश | पीलीभीत | 272 |
| 59 | उत्तर प्रदेश | प्रतापगढ़ | 312 |
| 60 | उत्तर प्रदेश | प्रयागराज | 55 |
| 61 | उत्तर प्रदेश | रायबरेली | 23 |
| 62 | उत्तर प्रदेश | रामपुर | 233 |
| 63 | उत्तर प्रदेश | सहारनपुर | 56 |
| 64 | उत्तर प्रदेश | संभल | 362 |
| 65 | उत्तर प्रदेश | संतकबीरनगर | 720 |
| 66 | उत्तर प्रदेश | शाहजहांपुर | 248 |
| 67 | उत्तर प्रदेश | शामली | 73 |
| 68 | उत्तर प्रदेश | श्रावस्ती | 106 |
| 69 | उत्तर प्रदेश | सिद्धार्थनगर | 3 |
| 70 | उत्तर प्रदेश | सीतापुर | 24 |
| 71 | उत्तर प्रदेश | सोनभद्र | 42 |
| 72 | उत्तर प्रदेश | सुल्तानपुर | 2516 |
| 73 | उत्तर प्रदेश | उन्नाव | 126 |
| 74 | उत्तर प्रदेश | वाराणसी | 24409 |
| **कुल** | | | **115318** |

*****